UNEMPLOYMENT RELIEF BILL

Shri V. P. Nayar (Chirayinkil): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide relief to unemployed workers.

Mr. Chairman: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide relief to unemployed workers."

The motion was adopted.

Shri V. P. Nayar: I introduce the Bill.

CHARTERED ACCOUNTANTS (AMENDMENT) BILL

Shri C. R. Narasimhan (Krishnagiri): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Chartered Accountants Act, 1949.

Mr. Chairman: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Chartered Accountants Act, 1949."

The motion was adopted.

Shri C. R. Narasimhan: I introduce the Bill.

INDIAN CATTLE PRESERVATION BILL—*Contd.*

Mr. Chairman: The House will now proceed with the further consideration of the following motion moved by Seth Govind Das:

"That the Bill to preserve the milch and draught cattle of the country, be taken into consideration."

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर—दक्षिण) : सभापति जी, २७ नवम्बर को जब मैंने अपना यह विधेयक विचार करने के लिए उपस्थित किया उस समय मैंने आरम्भ में कहा था कि जो लोग यह समझते हैं कि हम रूढ़िवादी हैं, हम सम्प्रदायवादी हैं, वे हमारे साथ अन्याय करते हैं । अपने इस कथन के प्रमाण स्वरूप मैं आपके सामने इस देश के कुछ महापुरुषों के वचन उपस्थित करता हूं । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह कहा था : "भारतवर्ष में गोरक्षा का प्रश्न स्वराज्य से किसी प्रकार भी कम नहीं । कई बातों में तो मैं इसे स्वराज्य से भी बड़ा मानता हूं । जब तक हम गाय को बचाने का उपाय ढूंढ नहीं निकालते तब तक स्वराज्य अर्थहीन कहा जायगा । देश की सुख समृद्धि गौ और उसकी सन्तान की समृद्धि के साथ जुड़ी हुई है" । हमारे जो आज राष्ट्रपति हैं, डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद जी, उन्होंने कहा था : "हिन्दुस्तान में गायों के लिए इस तरह की भावना है कि उनको मारना लोग पसन्द नहीं करते । यह जो बहादुरी की सलाह दी जाती है कि जितने खराब जानवर हैं उनको कत्ल कर दिया जाय मैं समझता हूं इसमें बहादुरी ज्यादा है बुद्धिमानी नहीं । यदि हम इस काम को करना चाहेंगे तो अपने खिलाफ एक बड़ी जमात पैदा कर लेंगे" । इस समय महात्मा गांधी के जो सबसे बड़े शिष्य सन्त विनोबा भावे हैं उन्होंने हाल ही में इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसके मैं दो उद्धरण आपके सामने उपस्थित करता हूं । सर्वोदय के नवम्बर १३, १९५१ के अंक में उन्होंने लिखा था : "इस देश में गौ हत्या नहीं चल सकती । गाय बैल हमारे समाज में दाखिल हो गये हैं । सीधा प्रश्न यह है कि आपको देश का रक्षण करना है या नहीं । यदि करना है तो गोवध भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं आता । इसका आपको ध्यान रखना चाहिए । गो हत्या जारी रही तो देश में बगावत होगी । गोहत्या बन्दी भारतीय जनता का मैंडेट, लोक आज्ञा, है और प्रधान मंत्री महोदय को इसे मानना चाहिये" । हरिजन सेवक के २२ अगस्त १९५३ के अंक में सन्त विनोबा लिखते हैं ।

[सेठ गोविन्द दास]

"हिन्दुस्तान में गो रक्षा होनी चाहिये। अगर गो रक्षा नहीं होती तो कहना होगा कि हम ने अपनी आजादी खोई और इसकी सुगन्ध गंवाई। मैंने कुरान और बाइबिल का गहराई से और अत्यन्त प्रेम के साथ अध्ययन किया है। मैं मुसलमान और ईसाइयों की ओर से उनका प्रतिनिधि बन कर कहता हूं कि उन दोनों धर्मों में ऐसी कोई बात नहीं है कि गाय का बलिदान हो। मैं कहता हूं कि हमारी सैक्युलर स्टेट में गो रक्षा होनी चाहिये"।

अब सभापति जी, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी को, राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद जी को, सन्त विनोबा भावे जी को, कोई भी रूढ़िवादी, या साम्प्रदायवादी नहीं कह सकता। इस सम्बन्ध में जब हमें ऐसे विशेषणों से विभूषित किया जाता है तो हम लोगों के साथ, और हम लोगों के साथ ही नहीं, अपितु राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी के साथ, सन्त विनोबा जी के साथ और स्वर्गीय महात्मा गांधी के साथ भी अन्याय किया जाता है।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : यह अन्याय कौन करता है ? जरा मुझे बता दीजिये, मालूम नहीं है।

सेठ गोविन्द दास : अब प्रश्न यह है कि गोवध सर्वथा बन्द क्यों हो ?

Satara): On a point of order. It has been ruled that the name of the Rashtrapathi should not be brought in in any of the discussions.

Mr. Chairman: Is it the objection of the hon. Member that if the Rashtrapathi has made any speech or statement, it cannot be quoted?

Shri Khardekar: That was my point.

Mr. Chairman: I do not feel that I should disallow a quotation. There is no point of order.

सेठ गोविन्द दास : अब, सभापति जी, हम गोवध सर्वथा बन्द क्यों करना चाहते हैं, इस सम्बन्ध में आप के सामने कुछ बातें उपस्थित करता हूं। सब से पहले तो मैं आप के सम्मुख अपने संविधान की धारा ४८ उपस्थित करता हूं। यह धारा अनेक बार पढ़ी गयी है, लेकिन जब तक इस देश में गोवध जारी है, तब तक यह धारा सदा पढ़ी जायगी। इस धारा में यह कहा गया है :

"The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle."

इस धारा का बहुत बार ऐसा अर्थ लगाया जाता है जो यथार्थ में इसका अर्थ नहीं है। मैं यद्यपि आजकल यहां पर अपनी राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा हिन्दी में बोलता हूं, पर गये ३० वर्षों से मैं इस सभा का सदस्य रहा हूं और पहले अंग्रेजी में ही बोलता था। मेरी अंग्रेजी कभी बुरी नहीं मानी गयी। अंग्रेजी मैं जानता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस धारा के जो अन्तिम विशेषण हैं "अदर मिल्च एंड ड्राफ्ट कैटल" इन विशेषणों को काऊज और काव्ज के साथ नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता वह मैं आप को बताना चाहता हूं। पहले तो आप काव्ज शब्द को लीजिये। अब काव्ज न तो मिल्च ही होते और न ड्राफ्ट ही होते हैं। काव्ज शब्द के पहले काऊज शब्द आया है यानी "काऊज एंड काव्ज एंड अदर मिल्च एंड ड्राफ्ट कैटल"। अब आप यह देखिये कि "अदर मिल्च एंड ड्राफ्ट कैटल" विशेषण काव्ज के साथ नहीं लग सकते, तो फिर वह काऊज के साथ कैसे लग सकते हैं ? अगर इस संविधान का अभिप्राय केवल मिल्च और अदर ड्राफ्ट कैटल को ही बचाने का होता तो काऊज एं

काज्ज इन दोनों शब्दों को रखने की आवश्यकता ही नहीं थी । उस वक्त तो यह इस में लिखा जाता " take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of milch and draught cattle." इतने ही में, "मिल्च एंड ड्राफ्ट कैटल" में ही गायें भी आ जातीं, बैल भी आ जाते, भैंस भी आ जातीं और भैंसे भी आ जाते । लेकिन इस में काऊज एंड काव्ज पहले लिखे गये और उसके बाद "अदर मिल्च एंड ड्राफ्ट कैटल" लिखा गया है । जो भाषा के विशेषज्ञ हैं, उन के सामने इस संविधान को रखा जाय और उन से पूछा जाय कि इस संविधान की धारा का अर्थ क्या होता है । मेरा निश्चित मत है कि यदि कोई विशेषज्ञ अपना निष्पक्ष निर्णय देंगे तो स्पष्ट रूप से यह निर्णय देंगे कि गायों और बछड़ों का तो वध तुरन्त बन्द होना चाहिये और उसके बाद जो दूसरे जानवर हैं, भैंसे हैं, और भैंसें हैं जो मिल्च एंड ड्राफ्ट कैटल में आते हैं उनका वध नहीं किया जाना चाहिये । जो हमारे दूध के या खेती के काम में आते हैं उन दूसरे जानवरों का वध नहीं किया जाना चाहिये । गायों और बछड़ों में यह विशेषण नहीं लगाए जा सकते । इस तरह का अर्थ लगाना, खींचातानी करना, हमारे संविधान के अर्थ का अनर्थ करना है ।

फिर यह संविधान की धारा कमेटी बनी इस सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहूंगा । हमारी सरकार और संसार की सभी सरकारें विशेषज्ञों की राय के अनुसार चलती हैं । विशेषज्ञों की इस सम्बन्ध में पहले एक कमेटी मुक़र्रर हुई । उसका नाम है "कैटल प्रिजर्वेशन एंड डैवलैपमेंट कमेटी" । १६ नवम्बर सन् १६४७ को यह कमेटी नियुक्त हुई और यह कमेटी नियुक्त हुई हमारे कृषि मंत्रालय के एक प्रस्ताव के अनुसार । वह प्रस्ताव भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं । प्रस्ताव यह है :

It has been brought to the notice of the Government of India that large numbers of cattle are annually slaughtered in this country for meat, that this slaughter is often indiscriminate, that it includes animals of all ages and qualities and that the slaughter results in short supplies of milk and work bullocks and in the depletion of the country's cattle wealth. There has been considerable agitation in the press, on the platform and on the floor of the Legislature in regard to this matter, and Government has been urged to take immediate steps to prohibit slaughter by legislation. As this is a complicated socio-religious subject the Government of India have, after careful consideration, decided to appoint an Expert Committee of officials and non-officials to consider the question in all its aspects and to recommend a comprehensive plan of action which can be put into immediate effect for preserving the cattle wealth of the country and for promoting its development.

इस प्रस्ताव पर यह कमेटी बनी । इस कमेटी ने क्या सिफारिश की वह भी मैं आप को बताना चाहता हूं ।

एक माननीय सदस्य : कमेटी के मैम्बरान कौन थे ?

सेठ गोविन्द दास : मैम्बरान के नाम हैं :

सरदार बहादुर दातार सिंह, राय बहादुर पी० एन० नन्दा, श्री ऐच० बी० शाही, डा० जाल आर० कोठावाला, श्री हरदेव सहाय, राय बहादुर जे० एन० मनकर, सरदार बहादुर हरचन्द सिंह, गुरु प्रताप सिंह, श्री धर्मलाल सिंह, श्री सतीश : : द श्री महावीरप्रसाद पोद्दार, श्री नाला सेनापति सरकारी, और सेठ गोविन्द दास ।

अब उन्होंने जो सिफ़ारिश इस सम्बन्ध में की वह मैं आपके सामने रखता हूं :

"This Committee is of opinion that slaughter of cattle is not

[सेठ गोविन्द दास]

desirable in India under any circumstances whatsoever, and that its prohibition shall be enforced by law. The prosperity of India to a very large extent depends on her cattle and the soul of the country can feel satisfied only if cattle slaughter is banned completely."

फिर आगे चल कर इसने इस सम्बन्ध में और कहा :

"1. The first step which has to be given effect to immediately should cover the total prohibition of slaughter of all useful cattle other than as indicated below:—

(a) Animals over 14 years of age and unfit for work and breeding;

(b) Animals for any age permanently unable to work or breed owing to age injury or deformity.

2. Unlicensed and unauthorised slaughter of cattle should be prohibited immediately and it should be made a cognizable offence under law.

3. The law for prohibiting slaughter of cattle totally should be enforced as early as possible."

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह संविधान की ४८वीं धारा कुछ आप से आप आस्मान से नहीं टपकी । इस ४८वीं धारा के निर्माण के पहले एक विशेषज्ञों की कमेटी नियुक्त की गयी, उस कमेटी में कौन कौन थे, यह मैंने आपको पढ़ कर सुनाया । उस कमेटी की क्या सिफारिशें थीं, यह मैंने आप को बतलाया और उस कमेटी की राय के अनुसार संविधान की ४८वीं धारा बनायी गयी । फिर इसकी सिफारिशों के कुछ अंश को, पूरी को तो नहीं, सरकार ने स्वीकार भी किया और यह २४ मार्च सन् १९४९ को उस समय कृषि मंत्री श्री जयरामदास दौलतराम थे, उन्होंने यहां पर उस सम्बन्ध में क्या कहा था वह मैं आपके सामने रखता हूं । वह कहते हैं :

'The Hon'ble Shri Jairamdas Daulatram (Minister of Food and Agriculture): "During debate of demands for Food and Agriculture on the 19th March, 1949, the Hon'ble Member, Seth Govind Das referred to the question of improvement and welfare of cattle and the need of governmental action in regard to the question of slaughter of cattle. In the course of my reply I dealt with this matter and announced the interim decision of Government on the report of Cattle Protection and Preservation Committee. But as the discussion had to close at 5 P.M. my statement had to be very brief and I understand from the Hon'ble Member that it would be helpful if the decision of the Government was more clearly indicated."'

उसके बाद उन्होंने कैटल प्रीजर्वेशन कमेटी की जो सिफ़ारिशें थीं जिन्हें मैंने अभी पढ़ा था वे पढ़ीं और उसके बाद उन्होंने यह कहा कि चौदह वर्ष की उम्र के नीचे के पशु न मारे जायं और उपयोगी पशु भी न मारे जायं । इस विषय में वह कहते हैं :

"As most of opinions received from the provinces are generally in favour of action suggested in the first two recommendations of the committee, Government have decided to accept those recommendations and will take early suitable action to have them implemented."

यह आश्वासन हम को २४ मार्च सन् १९४९ को मिला । उसके बाद पंचवर्षीय योजना की जो पहली आवृत्ति है, उसमें भी इस विषय पर प्रकाश डाला गया और वह क्या कहते हैं, वह मैं आप को बतलाता हूं :

"As the normal slaughter of cattle does not make any significant impression on the problem and the wholesale slaughter of useless

animals is not a practical proposition, some other remedy has to be thought out to meet the situation. One such remedy is the opening of large camps in areas where the fodder supply today is unutilised. The old and useless cattle are transferred to these camps through the *Pinjrapoles* and thus pressure on existing fodder supply is reduced. Suitable arrangements can be made at these camps for the utilisation of the manure of these cattle and, their hides, etc., after their natural death.

The problem of dry cows in cities is also important from the point of view of preservation of good cattle. It is observed that good milch cows are brought to the bigger cities like Bombay, Calcutta and when they get dry they are sent to slaughter houses."

यह सिफ़ारिश है पंचवर्षीय योजना की और अब इतनी दूर हम क्यों जायं, अभी हाल में हमारे जो कृषिमंत्री श्री क़िदवई हैं, उन्होंने सन् १९५२ में २४ दिसम्बर को पटना में जो कहा वह भी सुन लीजिये :

Mr. Rafi Ahmed Kidwai, India's Food Minister, said here today that when there was such an overwhelming sentiment in favour of prohibition of cow-slaughter, it must be respected because that was the way in which democracy functioned.

डा० एन० बी० खरे : इस सब के खिलाफ कौन है, यह तो बतलाइये ।

सेठ गोविन्द दास : यह जो कृषि मंत्री जी का हाल का कहना है, वह मैंने आपको बतलाया । फिर सरकार ने १६० गौसदनों के स्थापना की योजना बनायी । अगर सरकार पूरा गोवध इस देश में बन्द नहीं करना चाहती, तो गोसदनों की योजना न बना कर कसाई खानों की योजना बनानी चाहिए । हम लोग कहीं न कहीं किसी स्थान पर तो जायेंगे, या इसी प्रकार सारे मामले टटोलते रहेंगे । इसके लिए दो ही रास्ते हो सकते हैं । या तो जिस तरह से हमारी कैटिल प्रीजर्वेशन कमेटी ने कहा और उसके आधार पर हमारे संविधान की धारा बनी उसके अनुसार हम अमल करें । और हमारी पंचवर्षीय योजना में गोसदनों की बात कही गयी और रफ़ी अहमद क़िदवई साहब ने इस बात को कहा कि अगर हमें इस देश में प्रजातंत्र चलाना है, तो हमें लोगों के मत का ध्यान रखना होगा इसके अनुसार काम करें । बहादुरी की बात चाहे जितनी कह लीजिये कि हम बेकाम पशुओं को मार डालें, लेकिन यह बात इस देश में नहीं हो सकती अगर हम सब को मंजूर करते हैं और गोसदनों की योजना बनाते हैं, तो हम को गोसदनों की योजना बना कर इस गोवध को क़तई बन्द करना होगा, या फिर हम गोवध की बात और आगे बढ़ावें, क़साईखानों की स्थापना करें और जितनी गायें यहां पर हैं उनको काटने को तैयार हो जायं । दो में से एक रास्ता हमें चुनना होगा इन के अलावा और किसी दूसरे रास्ते पर हम चल नहीं सकते ।

एक बात और बार बार कही जाती है कि आर्थिक दृष्टि से इन गायों को रखना किसी प्रकार भी उचित नहीं है । यह दूसरी ग़लतफ़हमी है । आर्थिक दृष्टि से यह जो पशु बेकाम कहे जा रहे हैं, यह यथार्थ में बेकार हैं या नहीं, इस पर हमें विचार करना होगा । और इस विषय पर मैं आपके सामने बिहार सरकार की इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट है :

Tour of European Countries by Dharma Lal Singh, Secretary, Bihar State Goshala, Pinjrapole Federation, Patna.

दूसरी गोसंवर्धन अंक है उत्तरप्रदेश के पंचायती राज्य का और तीसरी यह पंचवर्षीय योजना है रखना चाहता हूं । इन सब में इस विषय पर बहुत कुछ कहा गया है । अगर मैं उस सब को यहां पर पढ़ने लगूं, तो शायद दो घंटे मुझे

[सेठ गोविन्द दास]

उस सब के पढ़ने में लग जायेंगे । इस लिए मैं उसका एक संक्षिप्त नोट जो मैंने बनाया है, उसे मैं सदन के सामने पढ़ देना चाहता हूं क्योंकि उसमें कुछ अंक दिये गये हैं और उन अंकों को मौखिक पढ़ना सम्भव नहीं है ।

अब आप देखिये कि इन सब प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर एक पशु पर कितना व्यय होता है ।

"सरकारी गोसम्वर्धन कौंसिल के अनुमान के अनुसार एक पशु को गो-सदन में रखने का आरम्भिक व्यय १५ रु० और प्रतिवर्ष १० रु० निगरानी इत्यादि पर व्यय आता है । यदि एक वृद्ध और अपंग पशु अधिक से अधिक ५ वर्ष जीवित रहे तो उस पर औसत खर्च १५ रु० प्रतिवर्ष होगा । इस पशु के मरने पर चमड़े हड्डी इत्यादि से यदि कम से कम ५ रु० आय हो तो १० रु० प्रति पशु प्रति वर्ष व्यय हुआ ।

भारत सरकार को वैज्ञानिक पत्रिका वेटर्नरी साइंस ऐंड ऐनिमल हस्बैन्डरी के मार्च १९४१ के प्रकाशित एक लेख में बताया गय है कि औसत गाय को स्वस्थ रखने के लिये ५ सेर नित्य या वर्ष में ३६ मन सूखा चारा चाहिये जिसका मूल्य अधिक से अधिक ३ रुपये प्रति मन के हिसाब से १०८ रुपये वार्षिक आता है । इस हिसाव में वह चारा जो पशु वर्षा के दिनों में या अन्य दिनों म गोचर भूमि यों में चरता है वह कम नहीं किया गया । सब खर्च लगा लिया गया है । तो अधिक से अधिक १०८ रुपयें के चारे पर एक पशु जीवित रहता है ।"

"जैसा कि आय के हिसाब में बतलाया गया है एक पशु से १२५ रुपये वार्षिक आय होती है । वह आगे मैं आप को बतलाऊंगा । और गोसदन में रखने से १५ रुपये तथा घर में रखने से १०८ रुपये वार्षिक व्यय पड़ता है । इस हिसाब से गोसदन में रखाजाने वाला ११० रुपये वार्षिक और घर में रक्खा जाने वाला १८ रुपये वार्षिक लाभ देता है । यदि सरकार और जनता दोनों गोबर और गो मूत्र को ठीक ठीक उपयोग में लावें और मरे हुए पशु के चमड़े और हड्डी का ठीक ठीक उपयोग हो तो एक वृद्ध, अपंग, अनुपयोगी कहलाने वाला पशु भी हानिकारक नहीं लाभदायक है ।"

यह तो व्यय के हिसाब से हुआ, अब आय के हिसाब से देखिये ।

'पंचवर्षीय योजना के १८वें अध्याय के 'कृषि उन्नति की कुछ समस्यायें' के २३वें पैराग्राफ में लिखा है कि "१९५१ की पशुगणना के हिसाब से ८०० मिलियन टन या अनुमानतः २२ अरब ५० करोड़ मन गोबर वार्षिक होता है । इस में से आधा या सवा ग्यारह अरब मन खाद के काम और आधे के करीब जलाने के काम आता है । सिंदरी के कारखाने के ऐमोनियम सल्फेट का भाव जिसमें अनुमान २० प्रतिशत नाइट्रोजन होता है उसका मूल्य २८० रुपये टन है या १० रु० प्रति मन है । गोबर का खाद ऐमोनियम सल्फेट से निस्सन्देह अच्छी चीज है पर उस में नाइट्रोजन कम से कम २ प्रतिशत है इसहिसाब से

नाइट्रोजन के अनपात को देखते हुए गोबर १ रु० मन पड़ता है अर्थात् पंचवर्षीय योजना के लेखकों के अनुमान अनुसार जो गोबर खाद के काम आता है उसका मूल्य १२ अरब रुपये होता है। ईंधन के काम आने वाले गोबर का मूल्य खाद के काम आने वाले गोबर के बराबर नहीं पर कम से कम एक चौथाई के बराबर, ३ अरब रुपये अवश्य है। इस हिसाब से दोनों, खाद और जलाने वाले, प्रकार के गोबर का मूल्य १५ अरब रुपये से कम नहीं।"

सभापति महोदय, यह आपके पंचवर्षीय योजना के विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं।

"इसी पैरे २३ में लिखा है कि गो मूत्र का अनुमान इस गोबर में नहीं लगाया गया।

१९५०–५१ की पशु संख्या, और पशु विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार सब पशु धन से साढ़े ६ अरब मन गो मूत्र मिलता है। इसमें से कम से कम २ अरब मन मूत्र खाद के काम और शेष व्यर्थ जाता है। गो मूत्र में नाइट्रोजन अधिक होता है फिर भी इस का कम से कम मूल्य ५ अरब रुपये होता है। गोबर और गो मूत्र दोनों से २० अरब रुपये आय होती है। देश में कुल (गोधन और भैंस धन) पशु धन १६ करोड़ है। इस हिसाब से प्रति पशु कम से कम २५ रुपये वार्षिक गोबर और गो मूत्र से मिलता है। इस हिसाब में गो मूत्र सम्मिलित नहीं जो काम में लाया जा सकता है पर व्यर्थ जाता है। ईंधन के स्थान पर जला दिए जाने वाले गोबर का मूल्य भी कम लगाया गया है।"

मैं आप के सामने यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा था कि जो यह कहा जाता है कि ये पशु बेकार हैं ये पशु आर्थिक दृष्टि से रखने के काम के नहीं हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। पहले तो मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि पशुओं में कोई बेकाम पशु हैं ही नहीं। फिर उनके ऊपर जो खर्च होता है और उन से जो आय होती है उसका हिसाब भी मैंने अभी प्रस्तुत किया। उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन पर जो खर्च होता है वह उन से जो आय होती है उससे बहुत कम है।

एक और भ्रम इस सम्बन्ध में है कि जब आदमियों को ही खाना नहीं मिलता, अच्छे पशुओं के लिये ही चारा नहीं मिलता तो इन पशुओं के लिये खाना और चारा कहां से आयेगा? मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस से ज्यादा गलत बात और कोई नहीं हो सकती। पहले तो जो बेकाम पशु कहे जाते हैं उनको हम दाना नहीं देते। वह पशु केवल चारा खायेंगे और वह चारा भी ऐसा चारा नहीं होगा जो कि काम के पशुओं को दिया जाता है। मैंने अनेक बार निवेदन किया है और फिर आज आप से कहना चाहता हूं कि आप इस देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेल में चले जाइये। आप को दोनों तरफ ऐसा चारा मिलेगा जो किसी काम में नहीं आता। जाड़े में शीत से जल जाता है, गरमी में गरमी से जल जाता है और बरसात में पानी से सड़ जाता है। यदि गोसदन स्थापित किये जायें तो इस चारे का पूरा उपयोग हो सकता है जो कि साधारणतः व्यर्थ जाता है। इसलिये जो यह बात बार बार कही जाती है कि जब आदमियों को खाना नहीं मिलता तो पशुओं के लिये कहां से आयेगा, जब अच्छे पशुओं को खाने को नहीं मिलता तो ऐसे पशुओं के लिये कहां से चारा आयेगा, यह बड़ी गलत बात है। दो हजार पशुओं के गोसदन पर कितना खर्च

[सेठ गोविन्द दास]

होता है इसके सरकारी अंक मेरे पास मौजूद हैं । १६० गोसदनों की योजना सरकार ने बनाई है और उसमें यह रखा गया है कि एक एक गोसदन में दो दो हजार पशु रक्खे जा सकते हैं । अब इन गोसदनों का जो नान रिकरिंग, यानी जो हमेशा न चलने वाला, खर्च है वह ५० हजार रु० होता है, और जो लगातार खर्च लगेगा वह होता है २०,००० रु० । जो सरकार अपनी दूसरी योजनाओं में करोड़ों रु० लगा सकती है, जिसने सिंदरी फैक्टरी में अभी करोड़ों रुपये लगाये, जिसने ट्रैक्टरों में इतना धन खर्च किया, वह सरकार क्या इस प्रकार के गोसदन नहीं बना सकती जिसमें कि केवल उतना धन खर्च करना पड़ेगा जितना कि मैंने अभी आप से निवेदन किया, और जहां पर पशु को रखने के बाद वे पशु हर दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होंगे । इसलिये यह कहना कि इसके लिये धन नहीं है गलत है । इस के लिये इच्छा नहीं है, धन की कमी नहीं है । यदि इच्छा हो तो धन तो हम को पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है ।

आर्थिक दृष्टि से यह पशु कभी भी हानिकारक नहीं हो सकते लेकिन अगर कुछ चीजें आर्थिक दृष्टि से हानिकारक हों भी तो क्या हमें उन्हें करना नहीं चाहिये ? जिस समय इस देश से अफीम चीन को जाती थी, उस वक्त क्या हम को उस से मुनाफा नहीं था, उस अफीम का चीन भेजना हम ने क्यों बंद किया ? अभी कुछ दिन हुए हमारी राज्य सरकारों को शराब से कितनी अधिक आमदनी थी, हमने उस शराब को बन्द क्यों किया ? अगर धन ही कमाना है तो सरकार और भी ऐसे काम कर सकती है जिससे धन कमाया जा सकता है और जो कि नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं हैं । आज हमने अफीम का भेजना बन्द किया, हमने शराब को बन्द किया, हमने नमक कर को उठाया । नमक कर का उठाना आखिर लोगों को जो भावनायें थीं उन्हीं के अनुसार तो हुआ । अगर हम इस प्रजातंत्र को चलाना चाहते हैं तो क्या हम को लोगों की भावनाओं की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिये । मैंने बार बार इस बात को कहा है कि आप इस देश में रिफरेन्डम लीजिये, आप इस सम्बन्ध में जनता में मतगणना कर लीजिये और देखिये कि लोगों का इस सम्बन्ध में क्या मत है, और मैं आगे बढ़ कर यह भी कहना चाहता हूं कि आर्थिक दृष्टि से यदि गोवध निषेध हानिकारक भी हो, हालांकि मैं इसे नहीं मानता, तो भी हमें लोगों की भावनाओं के अनुसार काम करना ही होगा " ।

इस विषय में मैं आपके सामने फिर महात्मा गांधी ने जो कुछ कहा वही रखना चाहता हूं । गांधी जी ने यह कहा : "बाजार में बिकने आने वाली तमाम गायें ज्यादा से ज्यादा कीमत देकर राज्य खरीदे । तमाम बूढ़े, लूले लंगड़े और रोगी ढोरों की रक्षा राज्य को करनी चाहिये" ।

डा० एन० बा० खरे : नेहरू जी क्या कहते हैं यह कहते क्यों डरते हो ।

सेठ गोविन्द दास : आप अधीर न होइये वह भी मैं आपको बतलाऊंगा । उसके पहले मैं अपना भाषण समाप्त करने वाला नहीं हूं ।

Shri C. R. Narasimhan (Krishnagiri): Mr. Chairman, on a point of order, Sir. Under what list do we find this subject, the Union List or the Concurrent List?

Mr. Chairman: What is the point of order?

Shri C. R. Narasimhan: Whether it is in the Union List or in the Concurrent List.

सेठ गोविन्द दास : सभापति जी, जब सन् १९४९ में मैंने यह विषय उपस्थित किया था

तो अनन्तशयनम जी ने अपनी रूलिंग दी थी। आपने उस समय इस विषय को उठाया था और कहा था :

"Sir, in regard to the question of whether the Bill is *ultra vires*, reference has been made to the Statement of Objects and Reasons. My humble submission is that the Statement of Objects and Reasons alone does not furnish the only basis for considering whether the Bill is *ultra vires* or *intra vires*. In fact, if we look to the body of the Bill, it seeks to create an offence of the nature which is to be found in the Indian Penal Code. Under the Penal Code, maiming or killing of certain animals of the value of Rs. 50 or more is a criminal offence and therefore, it is not free from doubt whether these entries which have been referred to by Dr. Ambedkar will apply to the case or not. These entries have special reference to provincial subjects I know, but at the same time if this Bill is considered to be one which creates an offence then my humble submission is that the Provincial as well as the Central Legislature have both got jurisdiction in regard to criminal matters. For instance, entry 1 of List II relates to such criminal offences and if those criminal offences are such as are included in the Indian Penal Code, then my humble submission is that it cannot be said absolutely that this is barred."

The Deputy-Speaker then said:

"The hon. Member wants the hon. Agriculture Minister to reinforce his argument. So far as this particular point is concerned, it has been ruled on more than one occasion. It is not open to the Chair to enter into this vexed question. As a matter of fact, I may refer to a decision reported on page 32 of the 'Decisions from the Chair':

During the discussion on the Multi-Unit Co-operative Societies Bill, Mr. K. C. Neogy raised a point of order as to the jurisdiction of the Legislative Assembly on subjects mentioned in the Federal and Provincial Legislative lists in the Government of India Act, 1935, whereupon the President observed:

'.....A point of order, generally speaking, related to matters which concern the proper conduct of the proceedings of the House. The question whether the Assembly is competent to entertain a certain proposal for legislation is of great importance, and in my opinion, it is for the House to come to a conclusion on that point, as well as other points submitted to the House on the question whether the Bill should be passed or not.'"

Certainly it is for the House to take into consideration the objections that have been raised that it is not competent for the House to consider a legislation of this kind.

An Hon. Member: Why is this ruling read *in extenso*?

Shri S. V. Ramaswamy (Salem): When a point of order is raised the ruling has to be given by the Chair and not by the hon. Member.

Mr. Chairman: I have allowed the hon. Member in charge of the Bill to say what he has to say on this point of order. It is not that the Chair does not give any ruling. But, at the same time it is open to the Chair to hear any other member and especially the Member in charge of the Bill to say what he has to say in regard to this point of order.

Shri S. V. Ramaswamy: Sir, may I know.....

Mr. Chairman: Does the hon. Member want to supplement the point of order?

Shri S. V. Ramaswamy: What is the specific point of order?

Mr. Chairman: A specific point of order has been raised and it is being replied to. If he wants to raise any other point of order I shall certainly allow him. I do not want that the point of order should be supplemented by him.

सेठ गोविन्द दास : तो क्या मैं इसे और पढ़ूं

"Therefore, if the House is willing, it may accept the present Bill; otherwise it may throw it out. It is for the courts to decide whether this legislature is competent or not competent. I am not in a position to say at this stage that he is out of order. It is for the hon. Member to take whatever decision he thinks fit, having regard to the point of order raised, and if it ultimately turns out that it is a futile piece of legislation that has been passed by this House, he will take the consequences. It is for him to decide."

मैं ने फिर कहा :

"I am not willing to withdraw the Bill and I shall now make my speech."

डिप्टी स्पीकर ने फिर कहा :

"I am not asking the hon. Member to withdraw the Bill. There is absolutely no such suggestion from the Chair. It is for him to do what he likes."

और इस के बाद मैं ने अपना भाषण दिया ।

Shri S. V. Ramaswamy *rose*—

Mr. Chairman: I do not want to hear the hon. Member unless he is going to raise a new point of order.

Shri S. V. Ramaswamy: Yes, Sir, a new point of order.

Mr. Chairman: Yes, he can. But before he raises a second point of order let me dispose of the first point of order because according to the rules, two points of order cannot be raised at one and the same time. The first point of order has to be disposed of. I have heard the hon. Member who moved the Bill. Was this the Bill or was it some other Bill?

सेठ गोविन्द दास : बिल्कुल यही बिल था ।

Mr. Chairman: This was the very Bill on which a point of order was raised. At that time the Deputy Speaker who was then presiding gave a decision on the point of order and that decision has been read out to the House. That decision was that the Chair did not want to take the responsibility of deciding it finally so much so he left it to the decision of the House. I do not feel justified in upsetting the previous decision. I therefore submit that so far as this question concerned, the previous decision of the Deputy Speaker stands and the House would proceed to the discussion of the Bill.

सेठ गोविन्द दास : धन्यवाद । मैं ने अभी आप के सामने कुछ उन बातों को रखा कि जिन बातों के आधार पर मैं.....

Shri S. V. Ramaswamy: Sir, item 15 of List II...

Mr. Chairman: I may just request the hon. Member to raise his point of order and not to read anything. The rule regarding points of order is that the point of order must be shortly stated. What is the point?

Shri S. V. Ramaswamy: Sir, this subject of cow protection or preservation falls specifically under item 15 of List II, the State list. I am asking, Sir, in view of this list, whether this Bill will fall under this list or in the Union list.

Mr. Chairman: This is exactly the point of order that was raised by the hon. Member previously and this was the point of order raised by Dr. Ambedkar at that time. The hon. Member should first of all hear what the other hon. Member said before raising his point of order. This point of order is exactly the same. Therefore, it does not arise.

सेठ गोविन्द दास : सभापति जी, अब तक मैं ने आप के सामने यह रखा कि इस देश में सम्पूर्ण गोवध क्यों बन्द होना चाहिए। अब इस के बाद मैं आप के सामने उस विषय को उपस्थित करना चाहता हूं कि जिस से

उपयोगी पशुओं का सम्बन्ध है । और मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि ज तक उपयोगी पशुओं के कत्ल बन्द करने का विषय है उस में कोई मतभेद नहीं हो सकता । तब प्रश्न उठता है कि क्या उपयोगी पशुओं का वध रुका हुआ है । मेरा दावा है कि आज सब से अधिक उपयोगी पशुओं का ही वध होता है और जब मैं यह कहता हूं तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह बात कहता हूं । आप बम्बई के कसाई-खाने को जा कर देखिये, आप कलकत्ते के कसाई खाने को जा कर देखिये, आप मद्रास के कसाई खाने को जा कर देखिये और देखिये कि वहां पर उपयोगी पशु मारे जाते हैं या अनुपयोगी पशु मारे जाते हैं । इन उपयोगी पशुओं का वध भी, बिना गोवध क़तई बन्द किये रुक नहीं सकता । सरकार ने इस का बहुत प्रयत्न किया । उपयोगी पशुओं के वध को रोकने का प्रश्न आज ही नहीं उठा है । सरकार ने इस के कई प्रयत्न किये हैं लेकिन उन प्रयत्नों का कोई नतीजा नहीं निकल सका । सब से पहला प्रयत्न इस सम्बन्ध में हुआ था तारीख ११ जुलाई सन् १९४४ को, जब कि स्वराज्य की स्थापना नहीं हुई थी । उस वक्त सरकार ने, उस समय की अंग्रेजी सरकार ने, एक आज्ञापत्र जारी किया था कि दस साल के नीचे की उम्र के पशु न मारे जायें । वह आज्ञापत्र इस प्रकार था :

"I am directed to say that the present cattle shortage has been causing considerable anxiety to the Government of India for some time past. This shortage is probably due to the increased demand for cattle for cultivation, transport, milk and meat. It is considered that one of the ways of dealing with the problem is to prevent as far as practicable the slaughter of useful cattle, particularly such animals as are used as or likely to be used as working cattle, and those which are suitable for bearing offspring.

2. It has accordingly been decided in respect of the slaughter of cattle by the army authorities that:

(a) the slaughter or sale for slaughter of the following classes of cattle will be prohibited:

(i) cattle below 3 years of age,

(ii) male cattle between 3 and 10 years of age which are used or likely to be used as working cattle,

(iii) all cows between 3 and 10 years of age which are capable of producing milk, other than cows which are unsuitable for bearing offspring and

(iv) all cows which are pregnant or in milk."

१९४४ में सरकार ने इस आज्ञा को जारी किया था । इसका कोई फल नहीं निकला । इसका क्या नतीजा हुआ, उस सम्बन्ध में बरमा में क्या हुआ यह मैं आप को बताना चाहता हूं, क्योंकि बरमा उस समय भारतवर्ष का एक हिस्सा था ।

"With the aim of restricting the slaughter of useful cattle as much as possible Government promulgated last year an order under the Defence of Burma Rules confining slaughter to special categories. It is, however regretted that no perceptible improvement in the cattle population has been observed due to these restrictions. It is known to Government that useful cattle and even calves are surreptitiously slaughtered for meat and hide purposes."

बरमा सरकार के अतिरिक्त हमारे यहां दूसरे प्रान्तों में भी इस का कोई नतीजा नहीं निकला । इस के बाद डिफ़ेंस आफ़ इंडिया रूल्स समाप्त होते ही यह आर्डर भी खत्म हो गया । उस के उपरान्त स्वराज्य की प्राप्ति के बाद सन् १९४७ में नवम्बर में जो कैटल प्रिज़र्वेशन कमेटी बनाई गयी,

[सेठ गोविन्द दास]

उस ने जो कुछ कहा वह मैं आप के सामने अभी पढ़ चुका हूं। उस पर श्री जयरामदास दौलतराम जी ने जो कुछ कहा वह भी मैं आप को बतला चुका हूं। अब देखने की बात यह है कि जयरामदास जी की उस घोषणा के बाद, जिस घोषणा के अनुसार कि १४ वर्ष की उम्र के नीचे के पशु का वध रुकना चाहिये था, कहां कहां पर क्या हुआ ? मद्रास, त्रावणकोर कोचीन, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कुछ भी नहीं हुआ। आसाम में क़ानून बना, पर लागू नहीं किया गया। सन् १९५० में बम्बई, बंगाल और हैदराबाद में क़ानून बने, पर दो साल यों ही रहे, लागू नहीं हुए, सन् १९५२ तक। और जब लागू हुए तब भी क्या हुआ वह सुनिए। पूरे प्रान्त में वह क़ानून लागू नहीं किये गये। बम्बई और बंगाल में चौदह चौदह म्यूनिसिपल बोर्डों में और हैदराबाद में २२ में, लागू किये गये। अर्थात् इन के बाहर, बम्बई में १४ म्यूनिसिपल बोर्डों के बाहर, बंगाल में १४ म्यूनिसिपल बोर्डों के बाहर और हैदराबाद में २२ म्यूनिसिपल बोर्डों के बाहर क़त्ल हो सकता है। बंगाल में फिर १५ मार्च सन् १९५२ को कसाइयों के आन्दोलन पर यह रोक दिया गया, फिर १ फरवरी को लगाया गया। फिर क्योंकि इन क्षेत्रों के बाहर गोवध हो सकता था इसलिये क़ानून की मंशा पूरी नहीं हुई। केवल हमारे प्रान्त में ही वह क़ानून बना जिस के द्वारा गोवध बन्द किया गया। अब जहां गोवध पहले बन्द था और हमारे यहां जो बाद में यह गोवध बन्द किया गया वहां पर एक गश्ती चिट्ठी पहुंच गयी भारत सरकार की ओर से। उस गश्ती चिट्ठी में क्या लिखा गया ?

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : आप का किस से प्रान्त से मतलब है ?

सेठ गोविन्द दास : मध्य प्रदेश की बात मैं कह रहा था। एकमात्र केवल मध्यप्रदेश है, सारे देश में, कि जहां स्वराज्य के बाद गोवध बन्द किया गया। कुछ प्रान्तों में यह गोवध पहले से बन्द था। अब जिन प्रान्तों में यह पहले से बन्द था और जहां मध्य प्रदेश में यह बाद में बन्द किया गया वहां यह गश्ती चिट्ठी पहुंची। २० दिसम्बर सन् १९५० को यह गश्ती चिट्ठी भारत सरकार की ओर से गयी :

"I am directed to say that it has come to the notice of the Government of India that some States have imposed a complete ban on slaughter of cattle; some other are contemplating imposing a similar ban. In this connection it is necessary to consider both the legal aspect of the matter. So far as the legal aspect of the matter is concerned, it appears that some States are under the impression that the spirit of the Constitution is to stop the slaughter of cattle completely. It will not be out of place to mention that Article 48 in part IV of the Constitution relating to the directive principles of State policy, reads as under:—"

इस सम्बन्ध में मैं आप को बतला चुका हूं कि संविधान की उस धारा का मेरे अनुसार भी यही मतलब है। काऊज़ और काव्ज़, गायें और बछड़ों के सम्बन्ध में उस धारा का स्पष्ट मत है। वह मैं ने आप के सामने पढ़ कर बतला दिया। अब आगे है :

"It is clear from the above Article that what is really intended is not a total prohibition of all cattle".

यहां मैं सहमत हूं, "आल कैटल नहीं, बट प्राहीबीशन आफ़ मिल्च कैटल"।

अब देखिये कि यह जो गश्ती चिट्ठी गयी वह भी कैसी विचित्र चिट्ठी है

"It is clear from the above Article that what is really intended is

not a total prohibition of all cattle slaughter but prohibition of slaughter cow, and calves and other milch and draught cattle only."

ठीक है "बट प्राहीबीशन आफ़ स्लाटर काऊज़ एंड काव्ज़ एंड अदर मिल्च एंड ड्राफ्ट कैटल" । ठीक है, जो गश्ती चिट्ठी जाती है उस का भी यही मतलब है जो मैं ने संविधान की धारा का बतलाया कि जहां तक काऊज़ और काव्ज़ का सवाल है वहां तक टोटल प्राहीबीशन होना चाहिये और जहां तक दूसरे जानवरों का सवाल है वहां मिल्च एंड ड्राफ्ट कैटल का वध बन्द होना चाहिये ।

अब आगे देखिये कि इस गश्ती चिट्ठी में क्या लिखा है :

"Regarding the economic aspects of the matter, a complete ban on the slaughter of cattle would appear to be wasteful."

इस का उत्तर भी मैं आप को दे चुका हूं और यह आप के सामने सिद्ध कर चुका हूं कि यह प्रश्न आर्थिक हानि का प्रश्न नहीं है ।

फिर जो असली बात है, जिस से बिल्ली थैले में से निकल आती है वह मैं आप को बतलाना चाहता हूं :

"From the export point of view also, the problem has considerable significance. Hides from slaughtered cattle are much superior to hides from fallen cattle and fetch a higher price. In the absence of slaughter, the best type of hide which fetches good price in the export markets should no longer be available.

In view of what is stated above, the Government of India hope that the adverse effects of a total ban on the slaughter of cattle will be realised by the States and in the larger economic and other interests of the country no legal restriction on the slaughter of useless and unproductive cattle will be imposed".

5 P.M.

इस के आगे फिर देखिये :

The States which have already passed legislation totally banning slaughter are accordingly requested to take early steps to reconsider it.

सौभाग्य की बात है कि इस सर्कुलर के जाने के बाद भी मेरे प्रान्त में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया .....

Mr. Chairman: Has the circular not been withdrawn?

सेठ गोविन्द दास : मैं नहीं जानता कि वह सर्कुलर विदड्रा किया गया है या नहीं, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, कौंसिल आफ़ स्टेट में हाल ही में इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा गया था और उस समय हमारे कृषि मंत्री जी ने फिर इसी सर्कुलर लेटर का हवाला दिया था जिस का अर्थ यह होता है कि अभी तक विदड्रा नहीं किया गया है । बीस दिसम्बर सन् ५० का पत्र और २४ दिसम्बर सन् ५२ को कृषि मंत्री महोदय ने जो पटना में घोषणा की वह मैं ने पढ़ी । हाल ही में कौंसिल आफ़ स्टेट में जो कुछ कहा गया वह भी मैं ने बताया चूंकि इस समय सौभाग्य से श्री क़िदवई यहां आ गये हैं, इसलिए मैं उन की घोषणा को फिर पढ़े देता हूं :

Mr. Kidwai: India's Food Minister said here today that when there was such a overwhelming sentiment in favour of prohibition of cow-slaughter, it must be respected, because that was the way in which democracy functioned.

अगर वह कह दें कि उन्हों ने उस गश्ती चिट्ठी को विदड्रा कर दिया ....

Mr. Chairman: It was said in this House some time back that this circular has been withdrawn by the Food and Agriculture Ministry.

The Minister of Food and Agriculture (Shri Kidwai): I was not aware of the existence of this circular: I am very glad to hear that it has been withdrawn.

Mr. Chairman: It was stated by the predecessor of the hon. Minister that it had been withdrawn.

Shri Kidwai: I do not remember whatever has been said. If my predecessor had said that it had been withdrawn, it should be considered as having been withdrawn.

सेठ गोविन्द दास : बहुत खुशी की बात है । अतः अभी कौंसिल आफ़ स्टेट में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कृषि मंत्री जी ने जो कहा है कि वह भी विदड्रा हो गया, ऐसा समझ लेना चाहिये और मैं उन को इस के लिये हृदय से धन्यवाद देता हूं ।

Mr. Chairman: In the Council of States all that was done was a reply to an Unstarred Question which was placed on the Table.

सेठ गोविन्द दास : अभी कौंसिल आफ़ स्टेट में इस सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछा गया था उस के उत्तर म श्री किदवई ने इसी सर्कुलर को वहां पर बतलाया था या नहीं बतलाया था ?

Shri Kidwai: I was not there when this question was put and answered. Everything done in the Ministry is done under the orders of the Minister.

सेठ गोविन्द दास : मैं यह जानना चाहता था सभापति महोदय, कि उन के डिप्टी मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं यह उन को भी नहीं मालूम ?

Shri V. G. Deshpande (Guna): But what is the policy of the Central Government now?

सेठ गोविन्द दास : यह जो सर्कुलर भेजा गया था, वह अभी भी मौजूद है या वह उठा लिया गया है ?

Mr. Chairman: The hon. Member may ask a direct question and the hon. Minister will give a reply.

सेठ गोविन्द दास : तो मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि २० दिसम्बर को जो गश्ती पत्र गया, अब उस पत्र की क्या स्थिति है? वे कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे हैं मुझे बड़ा दुःख है कि शायद क़िदवई साहब भी यह नहीं जानते कि वह पत्र मन्सूख हुआ या नहीं ।

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुजफ्फरपुर-मध्य) : पता लगायेंगे ।

सेठ गोविन्द दास : तो हम ने यह देखा कि सरकार ने इस बात का लाख प्रयत्न किया कि उपयोगी जानवर न मारे जायें, पर वे सब प्रयत्न निष्फल हुए और आज भी उपयोगी जानवरों का वध हो रहा है, अब यह मामला सभापति जी, और आगे बढ़ गया है, अब क़साईखानों में ही वध नहीं होता, बल्कि घरों में भी वध होने लगा है । इस के सम्बन्ध में समय समय पर समाचार-पत्रों में कई खबरें छपती हैं और इस संबंध में कितने ही मुक़दमे चलते हैं और लोगों को सजाएं होती हैं । मैं आप को उन स्थानों के नाम बता देना चाहता हूं, जहां इस प्रकार की कार्रवाई हुई है जो अखबारों में छपी है, जहां मुक़दमे चले हैं और जहां लोगों को सजाएं हुई हैं और जहां आज भी मुक़दमे चल रहे हैं । वह जगहें हैं बिजनौर, नगीना, हरिद्वार, टोंक, मुरादाबाद, अल्मोड़ा, बुलन्द-शहर, मथुरा, आगरा, मेरठ, हरदोई, सहारन-पुर, गुड़गांव और जींद । आप आज्ञा दें तो मैं इन जगहों के हाल पढ़ कर भी सुनाऊं ।

Mr. Chairman: The hon. Member has indicated in what places it is taking place. The proceedings of the cases need not be read out here.

सेठ गोविन्द दास : फिर बम्बई और कलकत्ते में इस सम्बन्ध में क्या हो रहा है, वह मैं आप को बतलाना चाहता हूं । सब से ज्यादा गोवध यदि कहीं हो रहा है, तो वह बम्बई, कलकत्ते, मद्रास आदि में हो रहा है । बम्बई में अभी हाल ही में श्री मुरार जी देसाई से एक शिष्ट मंडल मिला था और इस शिष्टमंडल में आप को यह सुन कर खुशी होगी कि क़साई भी गये थे । उस शिष्ट-मंडल का थोड़ा सा हाल बतला दूं :

"A deputation of representatives of Bombay Humanitarian League, Cattle Butchers' Association of Bandra, Kurla and butchers of Baroda, led by Shri J. M. Manekar, waited upon the Chief Minister, Shri Morarji Desai and Shri Hiray, Minister for Revenue Agriculture and Forests on the 7th and 8th October 1952 respectively in connection with the question of unlawful slaughter going on on a large scale in Bombay and other towns of the State. The deputationists submitted that under the existing municipal law any slaughter of cattle done outside the licensed slaughter house is an offence. Similarly under the Bombay State Animal Preservation Act of 1948, slaughter of cattle without certificate of a veterinary officer, especially appointed for the purpose is considered to be unauthorised slaughter. In spite of this at many places in the City of Bombay, especially in Sankli Street, Madanpura, Mirza St., Umarkhadi, Kambedkar Street and elsewhere, slaughter of useful milch cattle and agricultural cattle and young calves is being done in private houses during night. Several complaints were made to the municipal authorities as well as to the police to stop these unlicensed and unauthorised slaughter. Yet, either for want of sufficient powers or due to indifference the crimes are ever on the increase."

यह बम्बई का हाल है । अब कलकत्ते का हाल सुनिये । कलकत्ता कार्पोरेशन की १३ फ़रवरी, १९५३ की मीटिंग में श्री तुलसीराम सरावगी ने कहा :

"The problem of illicit slaughtering is yet to be solved. What is happening is that round about Calcutta cows are slaughtered and the meat is surreptitiously supplied to the market; otherwise how to account for the fact that although cow slaughter is on the decrease at the Corporation slaughter house at Tangra, there is no decline at all in beef supply? When this aspect of the matter was brought to the notice of the Commissioner and the Deputy Mayor they took prompt action with the result that a lorry-load of beef which came from an unauthorized source and which was the product of illicit slaughtering somewhere outside Calcutta, was seized at the entrance to the Hogg Market as it was about to be smuggled in and our Health Officer, Dr. J. P. Chaudhury, helped in this seizure. But this incident is a pointer to what is happening behind the scenes and I shall not be surprised to learn that this sort of traffic in the flesh of cattle illicitly slaughtered outside Calcutta is widespread in this city."

मैं ने आप को यह बताने का प्रयत्न किया कि केवल उपयोगी पशुओं का वध कसाईखानों में किया जाता है, इतना ही नहीं, लेकिन यह वध अनेक शहरों में, मैं ने आप को पढ कर सुनाया, बढ़ रहा है । बम्बई और कलकत्ते में यह कितनी दूर तक हो रहा है, यह मैं ने आप से अभी निवेदन किया । अब उपयोगी पशुओं के वध का प्रधान कारण क्या है । यह मैं आप को केवल दो वाक्यों में कहना चाहता हूं इस के सम्बन्ध में । इस का प्रधान कारण है मांस का निर्यात और चमड़े का निर्यात । मांस के निर्यात के तीन बन्दरों के आंकड़े मेरे पास हैं । यहां २२ बन्दर अर्थात् सी-पोर्ट्स हैं । इस देश के २२ बन्दरों से कितना मांस बाहर जाता है इस

[सेठ गोविन्द दास]

के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं क्योंकि वह मुझे मिल नहीं सके, लेकिन जिन तीन बन्दरों के आंकड़े मिले वे मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। यह तीन बन्दर हैं बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। इन के आंकड़े हैं :

बम्बई से ३१,६९,९६६ रु० का गो मांस १ जुलाई, १९५२ से ३० जून, १९५३ तक देश के बाहर गया।

कलकत्ते से २१,६९,३४७ रु० का गो मांस बाहर गया।

मद्रास से २,९९,१३९ रु० का गो मांस बाहर गया।

कुल मिला कर ५६,३८,४५२ रु० का गो मांस बाहर गया।

Shri V. P. Nayar (Chirayinkil): Will the hon. Member kindly give at least the figures in English? We are not able to follow the figures.

Shri Govind Das:

Bombay	Rs. 31,69,966
Calcutta	Rs. 21,69,347
Madras	Rs. 2,99,139
Total	Rs. 56,38,452

एक वर्ष में केवल तीन बन्दरों से यह गो मांस बाहर गया है। श्री करमरकर को मैं ने यह आंकड़े दिये थे। उन को इन आंकड़ों को देख कर आश्चर्य हुआ और उन्हों ने मुझ से कहा कि वे इस का पता लगा रहे हैं कि आखिर क्या बात है। लेकिन कई महीने तक प्रतीक्षा करने पर भी अब तक इस का कोई पता नहीं लगा। यह तो मैं ने मांस के निर्यात के सम्बन्ध में आंकड़े आप के सामने रक्खे जो मांस का निर्यात हमारे देश के २२ बंदरों में से केवल तीन बंदरों से हुआ। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि बिना अच्छे पशुओं को मारे अच्छा मांस नहीं मिल सकता, और अच्छा मांस ही बाहर जा रहा है, इस लिये प्रधानतया अच्छे पशु यहां पर मारे जा रहे हैं।

फिर चमड़ा भी बाहर जा रहा है। इस के बारे में भी मैं आप को बतलाऊं कि १० वर्ष के पहले कितना चमड़ा बाहर जाता था और आज कितना चमड़ा बाहर जाने लगा है। इस के लिये यह कहा जायेगा कि चमड़ा जो बाहर जा रहा है वह बेकाम पशुओं का होगा। पहले मैं आप से यह निवेदन कर दूं कि जिस प्रकार बेकाम पशुओं का मांस अच्छा नहीं होता उसी प्रकार बेकाम पशुओं का चमड़ा भी अच्छा नहीं होता। और अभी जो मैं ने आप के सामने पंच वर्षीय योजना और दूसरी चीजें पढ़ीं, उससे भी आप को पता लगेगा कि अच्छे चमड़े से हम को अधिक दाम मिलें इस लिये हम अधिकतर अच्छे जानवर मारते हैं। खैर, आप बड़े जानवरों को छोड़ दीजिये, आप बछड़ों को लीजिये। बछड़ों के लिये तो यह नहीं कहा जा सकता कि वे बेकाम हैं और मारे जायें। १९४२-४३ में केवल ढाई लाख खालें इस देश से बछड़ों की बाहर गईं, १९४६-४७ में जब स्वराज्य हुआ उस वक्त १ लाख २० हजार खालें बाहर गईं। यह जो आंकड़े मैं आप को दे रहा हूं यह "ऐग्रिकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया" और "फारेन ऐंड एअर नैविगेशन" नामी पुस्तकों से दे रहा हूं। अब आप देखिये कि १९४२-४३ में ढाई लाख, १९४६-४७ में १ लाख २० हजार और १९५२-५३ में २० लाख १८ हजार बछड़ों की खालें इस देश से बाहर गईं। यह आंकड़े मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, आप के सामने यह पुस्तकें हैं और मैं कहना

चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति सरकार के मुहकमे का इन पुस्तकों को देखे और बतलाये कि यह सही है या नहीं कि १९४२-४३ में ढाई लाख खालें बाहर गईं, १९४६-४७ में १ लाख २० हजार खालें और १९५२-५३ में २० लाख १८ हजार खालें गईं।

फिर जो गायों का चमड़ा यहां से सन् १९५२-५३ में बाहर गया है वह भी देख लिया जाय। वह भी कम नहीं है। कुल गायों का चमड़ा गया है ४६ लाख, ९६ हजार और १७३ और इस की कीमत हुई ७,५६,०९,१७३ रु०। यह कुल गाय का चमड़ा है, बछड़ों के चमड़े इस से अलग हैं।

यथार्थ में जो हमारे यहां उपयोगी पशुओं का वध होता है, वह इसलिये होता है कि हम गो मांस का निर्यात करते हैं, हम चमड़े का निर्यात करते हैं और इस के लिये उपयोगी पशु ही काम में आ सकते हैं। जो पशु बेकार हो जाते हैं वह काम में नहीं आते। अतः सभापति महोदय, मेरी दृष्टि से गोवध कतई बन्द हुए बिना यह प्रश्न हल नहीं होगा।

बार बार एक बात और कही जाती है कि गाय इस देश में निकम्मी क्यों है जब कि अन्य देशों में अच्छी है। जो अन्य देश गो-भक्षक हैं वहां पर तो गायें बहुत अच्छी हैं। और हमारे यहां निकम्मी हैं। हमारे देश में गाय के निकम्मी होने का पहला कारण तो यहां पर अंगरेजी राज्य का रहना था। अंगरेजों ने गाय की तरफ़ ध्यान नहीं दिया। अंगरेजों ने खेती की तरफ़ ध्यान नहीं दिया और इसी कारण से यहां पर गाय की उन्नति नहीं हुई। खेती की उन्नति नहीं हुई। दूसरा कारण गायों के अच्छी न होने का यह है कि अच्छी गाय को कत्ल कर दिया जाता है, जब अच्छी गायें कत्ल की जायेंगी तो बुरी अच्छी बनाने के लिये कितना खर्च कर रहे हैं, यह भी आप देखिये। हम दो पैसा प्रति वर्ष प्रति पशु खर्च करते हैं, और मैं आप को इंग्लैण्ड का उदाहरण दूंगा कि वहां पर कितना खर्च किया जाता था। वहां पर ५ रु० खर्च किया जाता था। इंग्लैंड में जो कुछ किया गया था वह भी मैं आप को बतलाता हूं।

"Every popular sovereign State acknowledges its obligations as a social organisation. It gives its best attention to provide for its people foods 'high in value', first among which is milk....."

Shri Bhagwat Jha Azad (Purnea *cum* Santal Parganas): May we know how many hours more the hon. Member will take, Sir?

Mr. Chairman: So far as the question of time on such Bills is concerned, the rule is that there is no time-limit. But at the same time I would request the hon. Member not to be so long. On the first day he took about half an hour, and today he has taken about an hour and ten minutes already. I will request him to give some time to other Members. He will realise that on the order paper today there is a motion by the Deputy-Speaker about the report of the Committee on Private Members' Bills which places a limit of four hours on all the stages of the Bill. I would therefore request him to have some proportion of time in his mind.

सेठ गोविन्द दास : सभापति जी, मुझे तो इस विषयपर अभी भी बहुत कुछ कहना था, लेकिन चूंकि आप की आज्ञा है इस लिये मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा।

Shri Kidwai: I think he may be allowed to have the full four hours and explain every aspect of it.

सेठ गोविन्द दास : मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता था क्योंकि यह तो मेरे जीवन भर का प्रश्न रहा है ।

An Hon. Member: Can the time be extended?

Shri Kidwai: The time cannot be extended.

Shri V. P. Nayar: Some of us also would like to participate in this debate.

सेठ गोविन्द दास : मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं ।

Mr. Chairman: More than one Member has raised this point. And it is but fair that other Members should expect that they may also get some time to speak.

सेठ गोविन्द दास : मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं ।

"Since Britishers rule India, Britain is mainly responsible to increase the number and improve the quality of her cattle and milk. Let us see what they have done for their own country."

Cattle Industry subsidised—1932 to 1938:

उस में उन्होंने १,८५,९४,५८४ पाउंड खर्च किये शुरू में और फिर वह खर्च बढ़ते बढ़ते २,९४,६९,०५५ पाउंड तक पहुंचा यानी आठ बरस में उन्हों ने इतना खर्च किया जिस का मतलब यह होता है कि ४० करोड़ रुपया खर्च किया । आप देखें कि हम अपनी अन्य योजनाओं पर तो लाखों और करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन इस पर हम कुछ खर्च करने को तैयार नहीं हैं । तो जब अच्छी गायें मार डाली जायेंगी तो बुरी तो बचेंगी ही । जब हम उन पर कुछ खर्च नहीं करेंगे तो उन की उन्नति कैसे हो सकती है । यह कहना कि गोभक्षक देशों में तो अच्छी गायें हैं और हमारे यहां बुरी गायें हैं यह दलील गोवध करते रहने के लिए कोई ठीक दलील नहीं है ।

फिर जो चीजें कि गाय से उत्पादित चीजों को खराब करने वाली हैं उन को आप जारी रखना चाहते हैं । सभापति जी, इतनी बार आप ने यहां पर वनस्पति के लिए विधेयक उपस्थित करने का प्रयत्न किया लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ नहीं हुआ । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस संबंध में प्रस्ताव पास किया । कुछ भी नहीं हुआ । बार बार हम से कहा गया कि हम रंग बनाने का प्रयत्न करते हैं । हमारे वैज्ञानिक ऐटम बम के सदृश चीजें तो बना सकते हैं लेकिन उन को वनस्पति के लिए रंग बनाने में अब तक सफलता नहीं मिली ।

श्री किदवई : रंग है ।

सेठ गोविन्द दास : तो हम वनस्पति को जारी रखना चाहते हैं । अब हम मूंगफली का दूध बनाना चाहते हैं । जब इस तरह की चीजें होंगी तो फिर गाय के वंश की उन्नति कैसे होगी? इस पर स्वयं सरकार को विचार करना चाहिए ।

जैसा कि मैं ने निवेदन किया मुझे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं । इस सारी पृष्ठभूमि में जो कि मैं ने अभी आप से निवेदन की, अब अभी हाल ही में पंडित जवाहरलाल जी का दिया हुआ कृषि मंत्रियों की सभा में भाषण मैं ने पढ़ा तब मुझे बड़ा दु:ख हुआ । उस भाषण में सामाजिक रूढ़ियों को प्रगति के रास्ते में बड़ा रोड़ा बताते हुए आप ने कहा, "हमारे देश में मवेशियों का काफी बड़ा सवाल है । सारे देश में मवेशी पूजा की निगाह से देखे जाते हैं और निकम्मे हो जाते हैं और अन्य

देशों में मवेशियों की पूजा नहीं होती पर वह अच्छे होते हैं। मवेशियों को न मारने का कानून बनाने का आन्दोलन होता है। यदि कानून बन गया तो दुगने मवेशी मरेंगे।" आप ने कहा, "यदि वैज्ञानिक दिमाग से काम ले कर सामाजिक रूढ़ियां नहीं बदली गईं तो हमारा सारा पैसा लंगड़े, लूले मवेशियों और आदमियों के पोषण पर समाप्त हो जायगा, बढ़ने के स्थान पर मुल्क तबाह हो जायगा।" आप ने कहा, "लोग चुनाव में हारने के डर से कोई बात न कहें, यदि वह ईमानदारी से सच कहेंगे तो चुनाव हारने की भी संभावना नहीं है।" पंडित जवाहरलाल जी का जहां तक सम्बन्ध है इस देश में जो भी उन को अधिक से अधिक सम्मान और इज्जत की दृष्टि से देखते हैं उन में से मैं भी एक हूं। मैं यह मानता हूं कि इस देश के लिए इस से बड़े सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती कि पंडित जी के सदृश हमारे नेता हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे वेदों में जो शत वर्ष की आयु कही गई है वह पंडित जी को प्राप्त हो और वे इस देश की अपने नेतृत्व में आगे बढ़ायें, इस देश के सम्मान की जिस प्रकार से उन्हों ने विदेशों में वृद्धि की है उसी प्रकार से वृद्धि करते रहें। लेकिन यह सब होते हुए भी मेरा एक निवेदन अवश्य है और मैं चाहता हूं कि उन के पास यह निवेदन पहुंचा दिया जाय।

श्री किदवई : आप ही कह दें।

सेठ गोविन्द दास : जो लोग इस देश में गोवध बन्द करना चाहते हैं उन को रूढ़िवादी कहना, उन को सम्प्रदायवादी कहना, बड़े से बड़ा अन्याय है। मैं यह नहीं कहता कि रूढ़िवादी और सम्प्रदायवादी गोवध बन्दी नहीं चाहते। उन में से कई लोग रूढ़िवादी हैं, सम्प्रदायवादी हैं जो गोवध के नारे को बुलन्द करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग गोवध बन्द करना चाहते हैं वह सब सम्प्रदायवादी हैं, वे सब रूढ़िवादी हैं यह कहना हम लोगों के प्रति अन्याय करना है। कम से कम मैं अपने निस्बत आप से कह सकता हूं कि आज तक इन ३३ वर्षों के सार्वजनिक जीवन में मैं किसी भी सम्प्रदायवादी संस्था का एक क्षण के लिए भी सदस्य नहीं रहा हूं। मैं कांग्रेस में रहा। यहां पर चुनावों का प्रश्न नहीं है। मैं ने इस प्रश्न को सब से पहले १९२६ में काउंसिल आफ़ स्टेट में उठाया था। उस के बाद न जाने कितने चुनाव हो गये और न जाने कितने चुनाव होते जायेंगे। तो मैं उन से निवेदन करना चाहता हूं कि उन की यह जो घोषणा है वह न तो हम लोगों के प्रति न्याय करने की घोषणा है, न उन की यह घोषणा हमारे संविधान के अनुसार है। न उन की यह घोषणा उपयोगी पशुओं की रक्षा करने में काम आ सकती है। मैं उन से यह निवेदन करना चाहता हूं और कृषि मंत्री जी जो यहां बैठे हुए हैं मैं उन की मार्फत उन से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री किदवई : डाइरैक्टली करिये।

सेठ गोविन्द दास : आप उन के प्रतिनिधि हैं। आप इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि आप उन के प्रतिनिधि के रूप में यहां बैठे हुए हैं। तो मैं आप के मार्फत उन से यह निवेदन करना चाहता हूं। मैं यह समझता हूं कि कोई हर विषय में पारंगत नहीं हो सकता, विशेषज्ञ नहीं हो सकता। पंडित जी की गौ के मामले में मैं कोई विशेषज्ञ नहीं मानता। तो इस विषय को वे विशेषज्ञों के सुपुर्द करें। वे इस विषय को उन के सामने रखें और देखें कि उन का मत इस सम्बन्ध में ठीक है या हमारा मत इस सम्बन्ध में ठीक है। जैसा मैं ने आप से निवेदन किया, ३३ वर्षों से यह मेरा विषय रहा है। मैं ने

[सेठ गोविन्द दास]

निरन्तर इस धारा सभा में और काउंसिल आफ स्टेट म इस के लिये प्रयत्न किया है। मैं ने देश में एक एक कसाईखाना घूम घूम कर देखा है। अन्त में मैं आप के सामने कुछ चित्र उपस्थित करना चाहता हूं कि जिन से आप को यह बात ज्ञात होगी कि यथार्थ में किस तरह की गायें मारी जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि किदवई साहब इन चित्रों को देखें और इस बात का पता लगावें कि यह उपयोगी पशुओं का वध हो रहा है या निरुपयोगी पशुओं का वध हो रहा है। मैं चाहता हूं कि यह सारी धारा सभा इन चित्रों को देखे और इस बात का पता लगावे कि यह उपयोगी पशुओं के चित्र हैं या निरुपयोगी पशुओं के चित्र हैं। यह चित्र हैं जो मैं आप के सामने उपस्थित करता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर प्रोसीडिंग्स में यह चित्र छप सकते हों तो इन को छापा जाय और जो रुपया इन के ब्लाक बनाने में खर्च होगा मैं उस को देने के लिए तैयार हूं।

Shri K. K. Basu (Diamond Harbour): Let these photos be placed on the Table of the House.

Mr. Chairman: Let these photographs be passed on to the hon. Minister.

Shri V. P. Nayar: Let them be placed in the Library so that we may see them at leisure.

सेठ गोविन्द दास : तो मैं चाहता हूं कि एक बार इस का पूरा हैंसनस निकाल लिया जाय और यह देखा जाय कि जो लोग यह कहते हैं कि कतई गोवध बन्द हुए बिना उपयोगी पशुओं की रक्षा नहीं हो सकती वे सही हैं या जो लोग यह कहते हैं कि यह बात नहीं है वे सही हैं। और इस सम्बन्ध में हमारे पंडितजी, हमारे कृषि मंत्री जी विशेषज्ञों की एक कमेटी बनावें और सारे प्रश्न को देखें और निर्णय करें।

Mr. Chairman: There was a Committee and this matter was referred to them. Does the hon. Member want another Committee?

सेठ गोविन्द दास : मैं चाहता हूं कि अगर उन को उस कमेटी से सन्तोष न हो तो वह दूसरी कमेटी बना लें। मेरा तो यह मत है कि मेरा यह विधेयक ठीक है। लेकिन मैं पंडित जी और कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उन को जो कुछ हम ने पेश किया है उस पर संतोष नहीं है तो वे एक कमेटी और बना सकते हैं। मैं एक घंटे का समय और चाहता था। मैं कहना चाहता था कि इस देश में कृषि की और दूध की क्या दशा है। मैं वह अंक आप के सामने उपस्थित करना चाहता था।

Mr. Chairman: Order, order. The proposal of the hon. Minister that the hon. Member be allowed to continue for 4 hours may be considered and the Bill will automatically be buried.

सेठ गोविन्द दास : मैं समाप्त कर रहा हूं और आशा करता हूं कि इस धारा सभा के सब दलों के लोग मेरे इस विधेयक का समर्थन करेंगे।

Mr. Chairman: Motion moved:

> "That the Bill to preserve the milch and draught cattle of the country, be taken into consideration."

Shri V. G. Deshpande: There is an amendment.

Mr. Chairman: Yes, Shri Deshpande.

Shri V. G. Deshpande: I beg to move:

Some Hon. Members: Hindi.

श्री बी० जी० देशपांडे (गुना) : हिन्दी अपनी राज्य भाषा है, किन्तु इस के पश्चात् भी यह विधेयक की सूचना अभी तक सदन के मंत्रालय से हिन्दी में नहीं आती और अंग्रेज़ी में ही सूचना आने के कारण मैंने अंग्रेजी में पढ़ना आरम्भ किया । इस का भाषान्तर करते हुए जो सूचना है वह मैं पढ़ता हूं कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जिस के सदस्य हों :

सेठ गोविन्द दास, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री जी० डी० सोमानी, श्री नन्द लाल शर्मा, श्री चोइथराम पी० गिडवानी, श्री पी० एन० राजभोज, श्री उमाशंकर मूलजीभाई त्रिवेदी, श्री शंकर शान्ताराम मोरे और सूचक । यह सूचना मैं कर रहा हूं । यह सूचना करते वक्त . . .

Mr. Chairman: The hon. Member must realise that his motion is not complete. He has not given the date by which the Committee should report.

श्री बी० जी० देशपांडे : और प्रवर समिति का प्रतिवृत्त १ फरवरी सन् १९५४ से पूर्व इस सदन के सामने उपस्थित किया जाय ।

एक माननीय सदस्य : बस १ ?

श्री बी० जी० देशपांडे : मुझे बोलना है ।

सभापति जी, सेठ गोविन्द दास जी ने यह प्रस्ताव बड़े प्रदीर्घ रूप में सदन के सामने रखा है । मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से मान्यता देनी चाहिये, इस कारण से मान्यता देनी चाहिये कि यहां पर जानवरों की जो व्याख्या की गयी है, इस प्रस्ताव में पश की जो व्याख्या की गयी है, शी बफैलो, अर्थात् हिन्दी में भैंसे और भैंस को भी सम्मिलित किया है । मैं तो इस प्रकार की शब्द रचना नहीं करता । मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं । जैसे कि हमारे संविधान में गाय और बछड़े को अलग रखा है, उसी प्रकार गाय का स्थान स्पष्ट रूप से रखना चाहिए था । किन्तु भारतवर्ष में एक विकृति आ गई है, इस विकृति का नाम है 'सैक्युलैरिज्म' । हिन्दू की कोई भी बात आज कही जाय तो वह बुरी है । हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, पारसी, आदि के साथ यह नाम लिया जाय तो अच्छा है लेकिन अकेले हिन्दू का नाम लिया जाय तो वह बुरा है । किसी ने कहा कि अगर यह कहा जायगा कि गाय की रक्षा करनी चाहिये तो पंडित जी कहेंगे कि यह सम्प्रदायवाद है । इसलिये शायद सेठ गोविन्द दास जी आदि समझते थे कि यदि गाय के साथ भैंस आई तो काले, पीले, गोरे, सब साथ में आ गये और इस को पंडित जी सम्प्रदायवाद नहीं कहेंगे । लेकिन "काल स्पेड ए स्पेड", मैं तो स्पेड को स्पेड ही कहना ठीक समझता हूं और सभापति जी, मैं समझता हूं कि यदि सब सदस्य अपने हृदय पर हाथ रख कर देखें तो मुझे पूरा विश्वास है कि सब के हृदय में यही भावना है । वह अपने हृदय में समझते हैं कि हम को निर्वाचन के लिये देश में जाना है, जनता के पास जाना है । वोट की बड़ी चिन्ता उन के हृदय में है मेरे हृदय में वोट की चिन्ता तो नहीं है, लेकिन हिन्दुस्तान के ३५ करोड़ हिन्दू इस विषय में क्या सोचते हैं यह अपने हृदय पर हाथ रख कर आप देखें तो मालूम होगा कि यह ३५ करोड़ जनता गाय की रक्षा के लिये ही मांग करेगी ।

मैं इस गोरक्षा के प्रश्न पर यह दृष्टि-कोण नहीं रखता हूं कि उस की उम्र क्या हो

[श्री गो० जी० देशपांडे]

मेरा दृष्टिकोण नहीं है । गोरक्षा यह हिंदुओं का मान बिन्दु है । गोवध देश में पूरी तरह बन्द करना चाहिये । इस के लिये में समझता हूं कि देश की सरकार का कर्त्तव्य है कि वह पूरे भारतवर्ष में गोवध पूरी तरह बन्द कराए । इस मांग के अन्दर कोई सम्प्रदायवाद नहीं है, कोई संकुचित दृष्टिकोण नहीं है, यह पूरी न्यायोचित मांग है । और यह मांग करते वक्त हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है । मैं किसी प्रकार की हिचकिचाहट करना मानसिक दुर्बलता का लक्षण समझता हूं । फिर आज ही नहीं, आज से सैंकड़ों वर्ष के पूर्व, आज तो हम हिन्दू शब्द कहते हुए इस सैक्युलैरिज्म में हिचकिचाते हैं, आज से सैंकड़ों वर्ष पूर्व का हुमायूं का अपना मृत्युपत्र लिखा रखा है । उस ने लिखा है कि यदि इस देश में आप राज्य करना चाहते हैं तो इस देश की जनता की भावना के अनुसार गोवध नहीं होना चाहिये, इसलिये हम को गोवध बन्द करना है । उस समय एक बाहर का व्यक्ति राज्य करता था । वह देखता है कि इस देश में राज्य करना है तो हिन्दू की भावना का सम्मान करना होगा और गाय का वध बन्द करना होगा ।

फिर शाह आलम ने भी अपने एक फतवे में कहा है, माधव राव सिंधिया को, कि इस देश में हिन्दू चाहते हैं और हमें इस देश में हिन्दुओं पर राज्य करना है, तो इस देश के हिन्दुओं की इच्छा का मुझे सम्मान करना पड़ेगा, तो यह जान कर मुझे गोवध को बन्द करना चाहिये । मैं जानता हूं कि गाय देश को आर्थिक दृष्टि से बड़ी लाभदायक है । लेकिन मेरे हृदय में आर्थिक भावना नहीं है । मेरे हृदय में धार्मिक भावना है और यह मेरा मान बिन्दु है । इस कारण इस देश में जब तक गोवध बन्द नहीं होता है तब तक मैं यह गोवध का आन्दोलन चलाता रहूंगा । मेरे सामने इस का आर्थिक दृष्टिकोण नहीं है, न यह दृष्टिकोण है कि गोमूत्र में कितना नाइट्रोजन है, गोबर में कितना नाइट्रोजन निकलता है । यह इस प्रकार की बातें सोचने के लिये मैं तैयार नहीं हूं । चमड़े के लिये कितनी गायों का बध होता है । गोमांस के लिये करोड़ों रुपये का मांस इस देश से बाहर जा रहा है । कलकत्ते के अन्दर स्वयं डाक्टर पंजाबराव देशमुख गये थे तो इन किताबों में इस के पूरे फ़िगर्स और चित्र श्री हरदेव सहाय जी ने दिये हैं जिन को सेठ गोविन्द दास जी ने बताया है । वह सब चित्र और फ़िगर्स आप के सामने रखे हैं कि देश में किस प्रकार गोहत्या, छोटी उम्र की और बड़ी उम्र की, सब उम्र की आज हो रही है । लेकिन मेरा सवाल उम्र का नहीं है । मेरा यह आर्थिक मान दंड नहीं है कि दूध देने वाली कौन सी गाय है और दूध न देने वाली कौन सी गाय है । न मेरे सामने यह प्रश्न है कि इन के मारने से क्या मिलता है । यह मेरे लिये सीधा धर्म का प्रश्न है । मैं तो कहता हूं कि यदि आप आर्थिक दृष्टि से इस तरह गाय की बात करते हैं तो फिर फैमिली प्लानिंग के लिये भी आप के पास सीधा रास्ता है कि जितने बूढ़े लोग हों, उन को आप मार डालें, फिर फैमिली प्लानिंग की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी । लेकिन मेरा तो स्पष्ट दृष्टिकोण है । इस दृष्टि से मुझे तो पंडित नन्दलाल जी शर्मा की बात याद आती है कि गाय को जानवर कहना, यह बात भी मान्य नहीं है । मेरे सामने तो सीधा धार्मिक प्रश्न है, इस कारण मैं तो मानता हूं कि मेरे लिये गाय जानवर नहीं है, यह देवी है, यह मेरी माता है । इस प्रकार माता का विचार करते हुए मैं तो यह सोचने के लिये तैयार नहीं हूं कि

यह गाय आर्थिक दृष्टि से मेरे लिये कितने फ़ायदे की चीज़ है, यह सवाल मेरे सम्मुख नहीं है ।

सभापति जी, सेठ गोविन्द दास जी ने एक बड़ा मौलिक सवाल आज सदन के सामने रखा है और मैं समझता हूं कि आज सदन की परीक्षा का समय आ गया है । बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने क्या कहा, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, यह बातें आज मैं आप के सामने रखना नहीं चाहता हूं । पंडित जी ने सन् १९३९ में जो प्लानिंग कमीशन हुई थी, उस की अध्यक्षता पद से उन्हों ने कहा था :

> "The sub-committee suggests a change in the people's food habits which shall have to be preceded by a revolution in religious sentiment towards the use of the surplus cattle for food".

इस देश की जनता की धार्मिक भावना में परिवर्तन करने की दृष्टि से पंडित जी ने यह बात कही थी ।

दूसरे महान् नेता श्री कन्हैयालाल जी मुन्शी जब यहां के कृषि मंत्री थे तब पंजाबी साहब ने प्रान्तों के पास कैसा सरक्युलर भेजा यह मुझे और आप को मालूम है । यहां डाक्टर काटजू साहब बड़े जोर से कहने लगे कि यह [हिन्दूसभाई जा जा कर प्रचार करते हैं कि कांग्रेसी गोवध बन्द नहीं कर रहे हैं और इस के लिये उन्हों ने बड़े आंसू भी बहाए । मैं तो आप से कहता हूं कि आप सीधे कहिये कि गोहत्या बन्द करना चाहते हैं या नहीं । पंडित जी के पास कुछ लोग जाते हैं तो वह कहते हैं कि यह तो स्टेटों का मामला है, राज्यों का मामला है, यह कह कर वह टाल देते हैं । इधर यहां से यह पंजाबी, आई० सी० एस०, इस तरह का सरक्युलर प्रान्तों को भेजते हैं कि कांस्टीट्यूशन का, हमारे संविधान का, अर्थ यह है कि गाय का वध हम रोकना नहीं चाहते हैं, जो दूध देने वाली गाय हैं, उपयुक्त पशु हैं, उन का ही वध हम केवल रोकना चाहते हैं ।

आगे चल कर जैसा सेठ गोविन्द दास ने बताया मध्यप्रदेश में भी नागपुर कार्पोरेशन को सर्कुलर आ गया कि आप सब गायों का वध नहीं रोक सकते हैं । एक तरफ तो राज्य सरकार गोवध निषेध के लिए प्रस्ताव पास करती है और दूसरी तरफ़ से उन का हाथ पकड़ लेती है कि ऐसा न करो, सरकार की इस दुरंगी नीति का हम को पूरा अनुभव हो गया है और आज मैं सरकार से एक [सीधा सादा सवाल पूछना चाहता हूं और इस सदन के हर एक सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि आप वास्तव में इस देश के अन्दर गोवध रोकना चाहते हैं कि नहीं । इस संबंध में अब तक का हमारा अनुभव यह है कि गोवध के सम्बन्ध में तरह तरह की दलीलें दी जाती हैं और वादविवाद किया जाता है, वह कहते हैं कि गोवध को तो आप रोकना चाहते हैं, लेकिन गाय को कोई नहीं पालता, या गाय को कोई खिलाता नहीं या गाय दूध नहीं देती, इस तरह की उन की दलीलें सुन कर मैं बहुत हैरान रह जाता हूं कि आखिर हमारे शासक चाहते क्या हैं ? यह भी खूब है, कोई क़त्ल करने के लिए आता है, आप सरकार के पास फ़रियाद ले कर जाते हो कि यह हमें क़त्ल करता है, हम को बचाओ, तो उस को यह जवाब दिया जाता है कि इस देश में बेकारी है, हमारे नन्दा साहब ने ऐसा कहा और देशमुख साहब ने इस को माना कि करोड़ों लोग बेकार हैं और भुखमरी गोरखपुर आदि स्थानों में हो रही है । और चूंकि देश में बेकारी और भुखमरी फैली हुई है इसलिये इंडियन पैनेल कोड से दफ़ा ३०२ को हटा दो और क़त्ल चल सकता है,

[श्री वी० जी० देशपांडे]

सरकार की गोवध निषेध के सम्बन्ध में जो दलीलें हैं, वह ठीक इस प्रकार की हैं। हमारी और देश भर की यह आवाज है कि गोरक्षा होनी चाहिये, गोसंवर्धन होना चाहिये। लेकिन गोरक्षा और गो संवर्धन दो अलग अलग प्रश्न हैं, इस देश की सरकार का यह उत्तर-दायित्व है, यह दलील दे कर हमारा मुंह बन्द करना और इस देश की जनता की आवाज की अवहेलना करना आप के लिए कदापि उचित और शोभनीय नहीं है और पार्टी डिस्प्लिन के नाते मेम्बरों का इस बारे में मुंह बन्द करना, यह आप के लिए ठीक नहीं है और इस से तो जनता में व्यापक असन्तोष ही फैलेगा, क्योंकि वह एक स्वर से गोवध निषेध के लिये मांग कर रही है और एक प्रजातंत्रीय सरकार को जनता की आवाज की अवहेलना नहीं करनी चाहिये। मैं जानता हूं कि अगले अधिवेशन में इस विधेयक पर मतदान होगा तब कांग्रेसी सदस्य प्रतोद-चाबुक के डर से उस के विरुद्ध मत-दान करेंगे यह मैं जानता हूं लेकिन मैं उन को बतला देना चाहता हूं कि मेरा वह मुंह बन्द नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मेरे ऊपर पार्टी का चाबुक कोई असर नहीं करेगा और मैं यहां लाखों मतदाताओं के प्रतिनिधि के रूप में आया हूं और मैं जानता हूं कि मेरे पीछे देश के पैंतीस करोड़ लोगों का समर्थन है और वह चाहते हैं कि भारत सरकार क़ानून से इस देश में गोवध बन्द कराये और जनता का एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं यह मांग सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

Shri Dabhi (Kaira North): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the motion moved by my hon. friend Seth Govind Das. It is not necessary to impress upon this House the importance of the cow in this country which is predominantly an agricultural country. We know that the cow gives us milk as also ghee which is considered by the Ayurved as life itself: आयुर्वैघृतम् The cow also gives us manure, and bullocks, without which this agricultural country cannot carry on. Even after its death, the cow gives us skin and bones. All this only goes to show the economic value of the cow. Besides, we cannot forget the fact that to a vast majority of the people in this country, the cow is a *mata* (mother), and just as the idea of killing a mother is detestable to her child, the killing of a cow is considered detestable by the vast majority of people in this country. From this point of view also, it is absolutely necessary that there should be a complete ban on the slaughter of cows. According to the *Rig Veda*, the cow is a mother and the centre of nectar: अमृतस्य नाभिः So, from the economic as well as the sentimental points of view, it becomes necessary to put a complete ban on the slaughter of cows.

In the first place, we have to look at the economic aspect of the matter. There is no difference of opinion that there should be a ban on the slaughter of useful cows and useful cattle. Yet the fact remains that even after five years of independence, as my hon. friend Seth Govind Das has shown, we have not done anything to ban the slaughter of cows. The difference of opinion comes in only with regard to decrepit and old cows, which cannot bear any calves.

Two arguments have been advanced in favour of not banning the slaughter of old and decrepit cows. The first is that, because the Islamic religion ordains that there should be a sacrifice of cows, we should not wound the feeling of our Muslim brethren, by banning the slaughter of cows. I do not know—I have not studied the Islamic law—whether the religion of Islam says so, but I do not think it would have ordained that cows should be offered in sacrifice, because in its country of origin, *viz.* Arabia, there were no cows, and so the Muslims could not have been killing cows in

sacrifice. Therefore, I do not think even our Muslim brethren will have any objection to this ban on slaughter of cows. Even taking it for granted that such a sentiment is there among the Muslims, still we must take the other and larger sentiment of crores of people that the cow should be protected, and it will be clear to any man with a certain amount of commonsense, that he should respect that sentiment.

The second argument that has been advanced is that the preservation of decrepit and old cows will not be an economically sound proposition. My hon. friend Seth Govind Das has already shown to the House with facts and figures, that even old and decrepit cattle would not be a burden on the country economically, if a proper plan is chalked out for looking after them in *gosadans*. There is one other factor also to be borne in mind in this connection. If a man has been maintaining these cows for the sake of milk, and the bullocks for work, for a number of years during which they were useful, it is certainly his bounden duty that he should maintain them even in their old age. But our present difficulty is that the poor people who are not able to maintain them sell them to the slaughter houses, for a cheap price. But once the law is passed that there should be a complete ban on the slaughter of cows, the old and decrepit cattle of even poor people will be looked after in the *pinjrapoles*, and the philanthropists in the country could also play a useful role in this connection, so that the economic possibilities of these old and decrepit cattle also could be fully explored. At present, people want to sell these to the butcher, because they want to get what little money they could by such sale. But if these are looked after in the *gosadans* and *pinjrapoles*, they will cease to be an economic burden upon the country.

My hon. friend Seth Govind Das has referred to Article 48 of the Constitution, which enjoins that there should be a complete ban on the slaughter of draught and milch cattle.

The last point that I wanted to say is this. We often say that this Constitution is a sacred thing. Just now the Ayyangar Committee's report before the House stated that the Constitution should be considered as sacred. It was said earlier that we should not do anything which is a fraud on the Constitution. If we believe in the Constitution, then as long as that Constitution stands, we must abide by that and act according to that. As that Constitution enjoins upon us, upon the country that there should be a complete ban on the slaughter of cow, I hope that not only this House but the Government also would welcome this Bill and pass it as soon as possible.

With these few words I again whole-heartedly support the Bill.

Mr. Chairman: I put the amendment for reference to the Select Committee before the House.

Amendment moved:

> "That the Bill be referred to a Select Committee consisting of Seth Govind Das, Shri Purushottamdas Tandon, Shri G. D. Somani, Shri Nand Lal Sharma, Shri Choithram P. Gidwani, Shri P. N. Rajabhoj, Shri U. M. Trivedi, Shri S. S. More and the mover, with instructions to report by the 1st February, 1954."

Shri Kidwai: I am thankful to my friend, Mr. Givind Das....

Mr. Chairman: Before the hon. Minister proceeds, I will make one point clear. This is not the final speech; he is intervening at this stage in order to place before the House how the Government reacts to this Bill. Therefore, if other hon. Members are anxious to speak they will be given time, if necessary.

Shri Kidwai: I wanted to thank my hon. friend, Mr. Govind Das for re-

[Shri Kidwai]

minding me of a speech which I had delivered at Patna on the occasion of Id. I still stand by what I had said then. I said, whatever be the pros and cons of it, if the sentiment of a vast majority of our countrymen wanted certain measures to be taken then it has to be taken if majority rule prevails. Seth Govind Das will remember that we had discussed all that we could do and we appointed a Committee of which Seth Govind Das and our President of the day were members. They had drafted a Bill. I am sorry that for the first time I saw the draft today. It does not go to the extent that I was thinking to take it. But I am reminding Seth Saheb of one thing. There he said that this House was not competent to deal with it; he had said that it is the State Legislature which can pass it.....

Seth Govind Das: On a point of personal explanation, Sir.....

Shri Kidwai: He had also said at one stage that if the State Legislatures authorise, then we can pass this legislation and it will be effective in the States where the Legislature had authorised the passage of such a Bill. I therefore say that all this discussion—and even if we pass this Bill—will be futile unless we are sure of our position. Either we have to get the sanction of the State Legislatures to pass this Bill or the State Legislatures have to pass the Bill. Otherwise, whatever we do, it will be futile and what the Seth Saheb said in his speech confirms me in this view.

Some legislation was passed but it was not being given effect to. Some complaints were received that the Bengal Government is not giving effect to it. Then I wrote to the Bengal Government and they made the necessary announcement. Still there were some complaints and a few months ago I requested Dr. Deshmukh to discuss it with the local Government. As he said it is still not being given effect to. It is a matter for the State Legislatures to decide and it is for the State Governments to give effect to. Therefore, if we pass this legislation without their authority, it will not be effective. I would therefore say that we should not waste our time on futile things. Either the Seth Saheb should go in for an amendment of the Constitution or the State Legislatures should authorise us. If the Constitution is so amended that this Legislature has got the authority to pass such a Bill, then surely I think the Government would itself come forward with a Bill. Leaving aside all the arguments that have been advanced in favour of the Bill, for me one argument stands. That is, if the overwhelming majority or a very large proportion of the population of this country want it, if their sentiment demands that such a Bill should be passed, it must be passed. We must be sure that we are not doing a thing which would prove futile. Therefore I think we should consider this point.

Shri Nand Lal Sharma (Sikar): On a point of order, Sir. The Chair has already decided this point of order which was raised by one hon. Member. Does the hon. Minister want to rule it out?

Mr. Chairman: The hon. Minister is only giving his opinion that it will be futile to pass the Bill in this House. It is his opinion. Every hon. Member is entitled to give out his opinion. In his opinion with the present Constitution in operation it would be futile to pass this Bill. The hon. Minister is only saying what he thinks. So far as the Chair is concerned, it has not ruled that it is *intra vires* or *ultra vires*. The Chair has left it to the House and said that it is for the House to consider what to do.

Shri Kidwai: I said that I was supported by two Members of this House; one of them is Seth Govind Das himself. I have only to state at this stage that if you pass this legislation—it may be supported by the sentiment of a vast majority of the people of this country—it may not be effective. We may consult the Law Minister, we may consult the At-

torney-General and if they think that there is no possibility of its not being given effect to, then we may pass it. Otherwise, we may get the authority from the State Legislatures as Seth Govind Das himself had suggested. He had drafted a Bill which does not go to the extent that we had discussed. I think he felt that there are some difficulties. They drafted it; they sent it to the States and they also noted that the States can go further from the draft. That is the legal position. Therefore, I think we should consider this before we proceed further and waste the time at our disposal.

6 P.M.

Mr. Chairman: Now, it is arleady 6.00.

An Hon. Member: Decide the point of order or take legal opinion.

Mr. Chairman: So far as the Chair is concerned, the ruling has already been given. Now, this Bill will be taken up in its proper time. We now take up the other business of the House, that is, Mr. M. A. Ayyangar's motion regarding the first report of the Committee on Private Members' Bills.

Shri K. K. Basu: May I suggest that in view of the importance of the legal point raised, when the Bill comes up next for discussion, will the Government ascertain the opinion of the Attorney-General or the Law Minister? Otherwise....

Mr. Chairman: So far as the House is concerned, the point of order was raised and it has been decided. But at the same time, if the hon. Members—if all the hon. Members or a majority of the hon. Members are of the view that this Bill cannot be taken up here, they can certainly say so, and opine that they do not want to consider the Bill.

Shri K. K. Basu: I only submit that the Members are competent to decide, but that you should get the advice of the Attorney-General.

Mr. Chairman: So far as the House is concerned, the point of order has been decided. It is not the business of the Chair now to go into this question. Either the hon. Mover of the Bill or the Government may adopt such course as they like.

The Minister of Law and Minority Affairs (Shri Biswas): There is an appeal to the Law Minister. So, I will just say this. This Bill, as has been pointed out, was first brought forward in 1949, and Dr. Ambedkar, who was then the Law Minister, gave the opinion that in view of the fact that this matter forms the subject of entry No. 15 in List II of the Seventh Schedule of the Constitution, it was not competent for the Central Legislature to enact any such law. Sir, so far as I am concerned, on the point of interpretation, I adhere to that opinion, but even though it was held to be *ultra vires* by the Law Ministry, that Bill was allowed to be discussed on the last occasion. And you have ruled, Sir that it may be discussed now also. In casting their votes, hon. Members will be guided by their own opinion. So far as the Law Minister's opinion is concerned, it is the same as that of Dr. Ambedkar on the last occasion.

Mr. Chairman: I do not see how the matter can be discussed again. A ruling has been given so far as the Chair is concerned. The House has also heard the Law Minister. At present, the House is in possession of the opinion of Dr. Ambedkar and also of the opinion of the Food and Agriculture Minister. The House is of course a responsible body and it will consider the Bill in proper time as to what is to be done?

Shri R. K. Chaudhuri (Gauhati): What I want to say is this. In this House we want to pass a legislation which will be really effective and in order to have an effective legislation, we want the considered opinion, as some of my friends here said, of a really responsible Law Officer, that is to say, the Attorney-General.

Mr. Chairman: Our Law Minister is a responsible law officer also.